

अक्टूबर 2011
October, 2011

एसोशिएटशिप परीक्षा
मरीन बीमा
ASSOCIATESHIP EXAMINATION
MARINE INSURANCE

AG-67

Reg. No.

--	--	--	--	--	--	--	--

समय : 3 घंटे]
Time : 3 Hours]

[कुल अंक : 100
[Total Marks : 100

किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए । दसवा प्रश्न के 16 अंक है किन्तु यह अनिवार्य नहीं है ।
अन्य सभी प्रत्येक प्रश्न 12 अंक के है ।

Answer **EIGHT** questions only. Question number **TEN** carries 16 marks but this is not compulsory. All other questions carry 12 marks each.

- प्र.1 निम्नलिखित में से **किन्ही तीन** के उत्तर दें । Marks
(प्रत्येक के 4 अंक)
- अ) वर्णन करें कि किस प्रकार क्षतिपूर्ति का सिद्धांत मरीन बीमा को लागू होता है।
ब) मरीन बीमा क्लॉजों के मानकीकरण में इंटरनेशनल अंडराइटिंग एसोसिएशन ऑफ लंडन (आय.यू.ए.) के योगदान को रेखांकित करें।
स) “कारगो बीमा की अवधि का निर्धारण इंकोटर्म्स करते है” चर्चा करें।
द) सुविधा ध्वज वाले पोतों द्वारा ढोए जाने वाले कारगो के बीमा-लेखन में बीमाकर्ता क्यों सावधानी बरतते है?

- Q.1 Answer **any three** of the following 4 marks each
- a) Describe the principle of indemnity as it is applied to marine insurance.
b) Highlight the contribution of International Underwriting Association of London (IUA) in standardisation of marine insurance clauses.
c) "INCOTERMS determine the duration of cargo insurance" - Discuss
d) Why are insurers cautious in underwriting cargo carried by Flag of Convenience vessels?

- प्र.2 निम्नलिखित में से **किन्ही तीन** के बारे में संक्षेप में लिखें। (प्रत्येक के 4 अंक)
- अ) समनुदेशन
ब) इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मरीन इंश्योरेंस (आइ.यू.एम.आइ.) की भूमिका का परिक्षण करें।
स) विक्री की सी.आइ.एफ. शर्तें
द) कंटेनरीकरण तथा मरीन बीमा दावों पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

- Q.2 Write in breif about **any three** of the following : 4 marks each
- a) Assignment
b) Examine the role of the International Union of Marine Insurance (IUMI)
c) CIF terms of sale
d) Critically examine containerisation and its effect on marine cargo claims.

- प्र.3 **किन्ही तीन** की व्याख्या करें । (प्रत्येक के 4 अंक)
- अ) आइ.टी.सी. हल्स 1.10.83 की टक्कर देयता धारा के तहत अपवर्जन
 - ब) इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग
 - स) सू एंड लेबर प्रभार
 - द) चोरी, उठाईगीरी तथा गैर - सुपुर्दगी के विरुद्ध सावधानियां

- Q.3. Explain **any three** 4 marks each
- a) Exclusions under Collision Liability Clause of I.T.C. Hulls 1.10.83
 - b) Indian Register of Shipping
 - c) Sue and Labour Charges
 - d) Precautions against Theft, Pilferage and Non Delivery

- प्र.4 **किन्ही दो** के बीच अंतर स्पष्ट करें। (प्रत्येक के 6 अंक)
- अ) स्वैच्छिक तथा संधि पुनर्बीमा
 - ब) मूल्यांकित तथा अमूल्यांकित पॉलिसियां
 - क) वास्तविक तथा प्रलक्षित समग्र हानि

- Q.4. Distinguish between **any two** 6 marks each
- a) Facultative and Treaty Reinsurance
 - b) Valued and Unvalued Policies
 - c) Actual and Constructive Total Loss

- प्र.5 **किन्ही दो** की व्याख्या करें (प्रत्येक के 6 अंक)
- अ) वहन संविदा की समाप्ति धारा
 - ब) इन्स्टिट्यूट वॉर क्लॉजेज (कारगो) - आवरण तथा अपवर्जन
 - क) इन्स्टिट्यूट स्ट्राइक्स क्लॉजेज (कारगो) - आवरण तथा अपवर्जन

- Q.5. Explain **any two** : 6 each
- a) Termination of contract of carriage clause
 - b) Institute War Clauses (Cargo) - Cover and Exclusion
 - c) Institute Strikes Clauses (Cargo) - Cover and Exclusion

- प्र.6 निम्नलिखित में से **किन्ही दो** की व्याख्या करें । (प्रत्येक के 6 अंक)
- अ) अन्तर्देशीय पारगमन (रेल /सडक) क्लॉज 'बी' के तहत आवरित जोखिम
 - ब) हवाई वाहकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की समय सीमाएं
 - क) मरीन हानियों के मामले में साल्वेज निपटान

- Q.6. Explain **any two** of the following 6 each
- Perils covered under Inland Transit (Rail / Road) Clause 'B'
 - Time limits for legal action against air carriers
 - Salvage disposal in case of marine losses
- प्र.7 इंस्टिट्यूट टाइम क्लॉजेज हल्स 1.10.83 के संदर्भ में निम्नलिखित का आलोचनात्मक परिक्षण करें। 12
- आवरित जोखिम तथा
 - संवितरण वारंटी
- Q.7. Critically examine in the context of Institute Time Clauses Hulls 1.10.83 : 12
- Perils covered and
 - Disbursement Warranty
- प्र.8 पोतकाय जोखिमों के बीमा लेखन के लिए किन तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाता है? इन पहलुओं की समुचितता पर अपने विचार प्रकट करें। 12
- Q.8. Which technical aspects are considered for underwriting marine hull risks ? 12
Give your opinion about adequacy of these aspects.
- प्र.9 समुद्र तथा रेल द्वारा पहुँचने वाले माल के संदर्भ में बीमित द्वारा अपनायी जाने वाली सामान्य दावा प्रक्रियाओं का वर्णन करें। 12
- Q.9. Describe the general claim procedures followed by the assured in respect of goods arrived by Sea and by Rail. 12
- प्र. 10 समझाएं : (प्रत्येक के 8 अंक)
- पोत स्वामी की जिम्मेवारियां तथा देयताएं ।
 - पोतस्वामी के अधिकार तथा उन्मुक्तियां ।
- Q.10. Explain: 8 marks each
- Shipowners responsibilities and liabilities
 - Shipowners rights and immunities

-----समाप्त-----

----END----